वित्त निर्देश 28/2008

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 183/382/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-दिनांक 01.01.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: 202/201/वित्त /नियम/चार/2008 दिनांक 07.07.2007

दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 07.07.2007 द्वारा जारी किया गया है ।

2/- शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में निवासरत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा स्थित कार्यालयों से सेवानिवृत्त/दिवंगत पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत ऐसे पेंशन/परिवार पेंशनभोगियों जो प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में निवासरत होकर वहीं से अपनी पेंशन /परिवार पेंशन ले रहे है संदर्भित परिपत्र के निर्देशों के अनुसार अपनी पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के लिए आवेदन उस प्राधिकारी (संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/कोषालय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो) को प्रेषित करेंगें, जिसके द्वारा प्रदेश के बाहर के राज्य के कोषालय से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश महालेखाकार को भेजा गया है। संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/कोषालय अधिकारी संदर्भित परिपत्र के निर्देशों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण कर पेंशन/परिवार पेंशनभोगी के चाहे अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अन्य राज्य के कोषालय से पेंशन/परिवार पेंशन आहरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें । इन निर्देशों के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/कोषालय अधिकारी पेंशनर के कार्यालय/विभाग से स्वयं प्राप्त करेगें ।

3/ शासन के समक्ष यह प्रश्न भी उठाया गया है कि प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में निवासरत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा स्थित कार्यालयों से सेवानिवृत्त/दिवंगत पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन, जिसे पूर्व में महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) द्वितीय, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्राधिकृत किया गया तथा वे निवासरत राज्य के महालेखाकार के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे है,

उनकी पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या होगी । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त /दिवंगत ऐसे पेंशन भोगियो/परिवार पेंशन भोगियों जो प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में निवासरत होकर वहीं से अपनी पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे है, संदर्भित परिपत्रों के निर्देशानुसार अपनी पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के लिये आवेदन संलग्न प्रपत्र में (दो प्रतियों में) विभाग/कार्यालय के उस अधिकारी को संबोधित करेंगे, जिन्होंने प्रथमतः पेंशन प्रकरण महालेखाकार ग्वालियर को पेंशन प्राधिकृत करने हेतु प्रस्तुत किया था । कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व रहेगा कि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिकतम 30 दिवस की अवधि में आवेदन में दिये गये तथ्यों का प्रमाणीकरण कर विशेषकर अर्हक सेवा (सिर्फ पेंशन पुनरीक्षण प्रकरणों में), सेवानिवृत्त के समय धारित पद, वेतनमान तथा दिनांक 1.1.1996 से इस पद के पुनरीक्षित वेतनमान का अवश्य उल्लेख कर एक प्रति महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर को पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन प्राधिकृत करने हेतु अग्रेषित करें ।

(क) किसी भी स्थिति में पेंशन भोगी/परिवार पेंशन भोगी को मूल पी0पी0ओ0 लौटाने हेतु न कहा जाय । इस प्रक्रिया में पुनरीक्षित पेंशन आदेश की दोंनों प्रतियां इसी माध्यम से राज्य के बाहर भेजी जावेगी जैसे पूर्व में भेजी गई थी।

(ख) यदि किसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के पश्चात 1.1.1996 के पूर्व पदनाम समाप्त हुआ है अथवा वेतनमान में परिवर्तन हुआ है तो विभागाध्यक्ष इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेकर दिनांक 1.1.1996 को लागू पुनरीक्षित वेतनमान प्रमाणित करेंगें। यदि कोई पूर्व कार्यालय किसी अन्य स्थापना/ कार्यालय में समायोजित हुआ है, तो विभागाध्यक्ष आवश्यक निर्देश प्रसारित कर समस्या का समाधान करेगें ।

(ग) पुनरीक्षण कार्य हेतु पेंशन भोगी/परिवार पेंशन भोगी अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों,अर्हक सेवा, सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं वेतनमान आदि की जानकारी सहित विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख को आवेदन करें । विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख से अपेक्षा है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरणों में यथाशीघ्र संवेदनशीलता से पुनरीक्षण कार्य में महालेखाकार कार्यालय को आवश्यक सहायता करेंगे ।

4/ वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 90/116/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19.4.2007 (वित्त निर्देश क्रमांक- 14/2007) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे ।

5/ आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ को इन निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो राज्य के बाहर के पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण के कार्य का मानिटरिंग करेंगे ।

6/ कोषालय अधिकारी/संयुक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन पुनरीक्षण हेतु विभागीय अधिकारियों से मांगी गई जानकारी यथाशीघ्र भिजवाने हेतु आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन दिया जाये ताकि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके ।

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 184/382/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 29.08.2008

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

आवेदन का प्रारुप
(दो प्रतियों में दिया जाय)

****

प्रति,

....
....
....
(पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी अर्थात विभाग/कार्यालय प्रमुख)

विषय:- दिनांक 01.01.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: 202/201/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 7.7.07 तथा परिपत्र क्रमांक 183/382/वित्त/नियम/चार दिनांक, 29 अगस्त 2008 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण तथा दिनांक 1.4.2007 से भुगतान बाबत् ।

महोदय,

कृपया मेरे पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) क्रमांक-----------------------------------(फोटो प्रति संलग्न) के आधार पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: 202/201/वित्त/नियम/चार/08 दिनांक 07.07.2007 तथा परिपत्र क्रमांक 183/382/वित्त/नियम/चार दिनांक, 29 अगस्त 2008 के परिपेक्ष्य में पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन प्राधिकृत करने की अनुकम्पा करें । इस हेतु निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा रही है :-

1.	आवेदक का पूर्ण नाम व पत्र व्यवहार हेतु पता	....
2.	स्वीकृत पेंशन का प्रकार	....
3.	मृत शासकीय कर्मचारी/पेंशनर का नाम (आवेदक यदि परिवार पेंशन भोगी हो)	....
4	कर्मचारी की सेवा निवृत्ति/ मृत्यु दिनांक	....
5.	पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान प्रारंभ होने का दिनांक	....
6.	पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.क्रमांक)	....
7.	दिनांक 1.1.1996 को प्राप्त हो रही मूल समेकित पेंशन/परिवार पेंशन	....
8.	कार्यालय/ विभाग जहाँ पेंशनर/मृत कर्मचारी□(पेंशनर) सेवानिवृत्ति के समय कार्यरत था तथा पदनाम	....
9.	सेवानिवृत्ति के समय का धारित पद का वेतनमान	....
10.	पी.पी.ओ.जारी करने वाला कार्यालय/ अधिकारी	....

11. वर्तमान में पेंशन वितरण कर्ता अधिकारी/कोषालय/बैंक/राज्य(बचत खाता क्रमांक) ....

12. यदि कर्मचारी/मृत शासकीय सेवक के सेवानिवृत्ति के समय पदनाम/वेतनमान/ अर्हक सेवा(सिर्फ पेंशन पुनरीक्षण हेतु)तथा पुनरीक्षित वेतनमान आदि का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो विवरण आदि । ....

दिनांक: **पेंशनभोगी/परिवार पेंशन भोगी के हस्ताक्षर**

<u>पंजीयक डाक द्वारा</u>

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय म.प्र. झासी रोड, ग्वालियर,को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 2,3,5,6,8 एवं 9 के यथा प्रमाणीकरण सहित पेंशन/परिवार पेंशनर के पुनरीक्षण प्राधिकरण हेतु अग्रेषित।
2. प्रति आवेदक को।

दिनांक **हस्ताक्षरअग्रेषितकर्ता अधिकारी**
मय कार्यालयीन मुद्रा

Form of Application
(to be submitted in duplicate)

To,

____
____
____
(Pension sanctioning Authority ie Head of Department/Office)

Sub:- Revision of Pension/family pension in the case of pre-1996 pensioner/ family pensioners from 1.4.2007, in terms of Finance Department Circulars No. 202/ 201/Finance/R/IV/2007 dated 07.07.2007 and 183/382/Finance/R/IV/2008 dated 29.08.2008 and payment from 1.4.2007.

Sir,

Kindly revise my pension/family pension entitlement shown in my Pension Payment Order (P.P.O.) No. _____________(Photo copy enclosed), in terms of Finance Department Circulars No . 202/201/Finance/R/IV/2007 dated 07.07.2007 and 183/382/Finance/R/IV/2008 dated 29.08.2008. The requisite particulars are given below :-

1.	Name of the Applicant in Block letters and full Postal Address	....
2.	Type of Pension admissible	....
3.	Name of the deceased Government Servant/ pensioner (Applilcable only in case where the Applicant is a family pensioner)	....
4.	Date of retirement/death of the Government employee	....
5.	Date from which pension/family pension is being drawn	....
6.	Pension payment order(P.P.O.)No.	....
7.	Consolidated Basic Pension/family pension as on 1-1-1996	....
8.	Office/Department in which the Government servant (Pensioner) served last and the post held by him.	....
9.	Pay scale of the post last held	....
10.	Name of the Authority which issued the P.P.O.	....
11.	Name of the present pensioner	....

	Disbursing Authority/Treasury/ Bank State(Savings Bank Account No.)	
12.	If any documentary evidence is being attached to facilitate determination of length of qualifying service(applicable only for revising of pension)as also revised scale of pay for the post last held by the pensioner/deceased Government Servant, details there of.	....

Date **Signature of pensioner/family pensioner**

1. Forwarded to the Accountant General(A&E)II, M.P,Jhansi Road, Gwalior with particulars at 2,3,5,6,8 and 9 verified for revision of pension/family pension.
2. Copy to thd Applicant.

Date **Signature of Forwarding Officer**
Under Seal